फा.सं. ई-शासन/3/2024-ई-समन्वय
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संविधान सदन,
नई दिल्ली।
तारीख: 20.03.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में फरवरी, 2024 का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के फरवरी, 2024 के मासिक सारांश की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

ह./-
(पी.के. त्रिपाठी)
अवर सचिव, भारत सरकार
011-23034746

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उपराष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का फरवरी, 2024 का मासिक सारांश।

1. माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-

I. लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. वित विधेयक, 2024
2. जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
3. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
4. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024
5. विनियोग विधेयक, 2024
6. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024
7. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

II. राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
2. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
3. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024

III. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
2. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
3. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
4. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
5. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024
6. विनियोग विधेयक, 2024
7. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024
8. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
9. वित्त विधेयक, 2024
10. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
11. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
12. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024

IV - राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
2. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
3. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024
4. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024
5. विनियोग विधेयक, 2024
6. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024

7. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
8. वित्त विधेयक, 2024
9. जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
10. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
11. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
12. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

V. दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024
2. विनियोग विधेयक, 2024
3. वित्त विधेयक, 2024
4. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024
5. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
6. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
7. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
8. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024
9. जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
10. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
11. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
12. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

VI. अंतरिम केंद्रीय बजट, 2024-25

1. अंतरिम केंद्रीय बजट, 2024-25 लोक सभा में दिनांक 01.02.2024 को पेश किया गया।
2. वित्त विधेयक, 2024 लोक सभा में दिनांक 01.02.2024 को पुर:स्थापित किया गया।

VII. मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति की बैठक

1. मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने मंगलवार, 6 फरवरी, 2024 को बैठक की और निर्णय लिया कि शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के लिए नियत 17वीं लोक सभा के 15वें सत्र और राज्य सभा के 263वें सत्र को शनिवार, 10 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दिया जाए ताकि अत्यावश्यक सरकारी कार्य पूरा किया जा सके।

2. मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने शनिवार, 10 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में:

(i) 17वीं लोक सभा के 15वें सत्र और राज्य सभा के 263वें सत्र, जिन्हें शनिवार, 10 फरवरी, 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, का सत्रावसान करने का निर्णय लिया; और

(ii) संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों का विरोध किए जाने/संबंधित सदस्यों से विधेयक/संकल्प वापस लेने का अनुरोध करने/मनाने, ऐसा न करने पर उनका विरोध करने/समर्थन नहीं करने संबंधी मामलों पर सरकार के निर्णयों का अनुसमर्थन किया।

- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

फरवरी, 2024 माह के अंत में, लोक सभा के 606 और राज्य सभा के 607 आश्वासन लंबित थे। माह के दौरान, लोक सभा की कार्यवाही से 26 आश्वासन और राज्य सभा की कार्यवाही से 17 आश्वासन छांटे गए।

- **परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण**

फरवरी, 2024 के दौरान परामर्शदात्री समितियों 09 बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण अनुबंध- I में दिया गया है।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले	**राज्य सभा में नियम 180-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले**
दिनांक 01.02.2024 को लंबित मामले	427	133
माह के दौरान उठाए गए मामले	133	056
कुल मामले	560	189
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	111	030
माह के अंत में लंबित मामले	**449**	**159**

- **युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

क. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 हेतु नामांकन मंगाने के लिए विज्ञापन निकाला गया है।

ख. फरवरी, 2024 के दौरान, कुल 95 संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया। 20 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद एनवाईपीएस पोर्टल पर पूर्ण या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों का विवरण आदि अपलोड किया।

ग. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का पुरस्कार वितरण समारोह 16 फरवरी, 2024 को आयोजित किया गया।

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

फरवरी, 2024 के दौरान नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

(1) मणिपुर नेवा को अपनाने वाला देश का 13वां विधानमंडल बना

12वीं मणिपुर विधान सभा के 27 फरवरी से शुरू हुए 5वें सत्र की कार्यवाहियां नेवा के माध्यम से संचालित की गई। अपने आपको एक डिजिटल सदन में परिवर्तित करते हुए यह विधानसभा नेवा को अपनाने वाली 13वीं विधायिका बनी।

(2) असम नेवा को अपनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का 23वां विधानमंडल बना

नेवा को अपनाकर असम विधान सभा को डिजिटल सदन में परिवर्तित करने के लिए 22 फरवरी, 2024 को सचिव, संसदीय कार्य की मौजूदगी में असम सरकार, असम विधान सभा और संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(3) नेवा के माध्यम से संचालित लाइव सत्र

माह के दौरान, नीचे उल्लिखित सत्र नेवा एप्लिकेशन के माध्यम से आयोजित किए गए:

(i) गुजरात विधान सभा का बजट सत्र 1 फरवरी, 2024 से 29 फरवरी, 2024 तक आयोजित किया गया।

(ii) मेघालय विधान सभा का बजट सत्र 16 फरवरी, 2024 से 27 फरवरी, 2024 तक आयोजित किया गया।

(iii) हरियाणा विधान सभा का बजट सत्र 21 फरवरी, 2024 से 28 फरवरी, 2024 तक आयोजित किया गया।

(iv) मणिपुर विधान सभा का बजट सत्र 28 फरवरी, 2024 से 5 मार्च, 2024 तक आयोजित किया गया।

(4) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधी समिति, राज्य सभा की बैठक

श्री नारायण दास गुप्ता, संसद सदस्य (राज्य सभा) की अध्यक्षता में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधी समिति, राज्य सभा ने गुरूवार, 29 फरवरी, 2024 को एक बैठक आयोजित की जिसमें नेवा एप्लिकेशन के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में चर्चा की गई।

(5) सीपीएमयू की बैठक

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने मंत्रालय, एनआईसी और सीपीएमयू के अधिकारियों के साथ 15 फरवरी, 2024 को एक समीक्षा बैठक की थी।

(6) नेवा के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे

(i) अपर सचिव ने राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष नेवा एप्लिकेशन पर प्रस्तुति देने के लिए 20 फरवरी को राजस्थान विधान सभा का दौरा किया।

(ii) सचिव और अपर सचिव ने 22 फरवरी, 2024 को असम विधान सभा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए असम का दौरा किया ताकि वहां की विधान सभा को नेवा को अपनाकर एक डिजिटल सदन में परिवर्तित किया जा सके।

(7) विधानमंडलों के लिए धनराशि जारी करना

(i) नेवा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु त्रिपुरा विधान सभा को रू.1,61,15,931/- (एक करोड़ इकसठ लाख पंद्रह हजार नौ सौ इक्तीस रूपये) की केंद्र की हिस्सेदारी की तीसरी किस्त जारी की गई।

(ii) नेवा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु गुजरात विधान सभा को रू.1,61,44,008/- (एक करोड़ इकसठ लाख चवालीस हजार आठ रूपये) की केंद्र की हिस्सेदारी की तीसरी किस्त जारी की गई।

(8) नेवा संबंधी आभासी सम्मेलन

(i) नेवा के प्रश्न मॉड्यूल पर चर्चा करने के लिए नेवा टीम ने 9 फरवरी, 2024 को पंजाब विधान सभा के साथ एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया।

(ii) नेवा के समिति मॉड्यूल का प्रदर्शन करने के लिए नेवा टीम ने 12 फरवरी, 2024 को उत्तराखंड विधान सभा के साथ एक आभासी प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया।

(iii) नेवा परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी विविध मामलों पर चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने 19 फरवरी, 2024 को पंजाब विधान सभा की एसपीएमयू की बैठक में आभासी रूप से भाग लिया।

(iv) नेवा टीम ने रीयल टाइल वॉयस-टू-टैक्स्ट बहु-भाषाई अनुवाद, रीयल टाइम वॉयस-टू-वॉयस बहु-भाषाई अनुवाद और नेवा वेबसाइट के व्यापक बहु-भाषाई अनुवाद को आसान बनाने के लिए नेवा एप्लिकेशन पर APIs के एकीकरण हेतु भाषिणी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया।

(9) नेवा के माध्यम से सत्र संचालित करने के लिए विधान सभाओं को प्रदान की गई तकनीकी सहायता

(i) सीपीएमयू की एक तकनीकी टीम को 31 जनवरी से 29 फरवरी, 2024 तक गुजरात विधान सभा में तैनात किया गया था ताकि विधानसभा को नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

(ii) सीपीएमयू की एक तकनीकी टीम को 15 फरवरी से 27 फरवरी, 2024 तक मेघालय विधान सभा में तैनात किया गया था ताकि विधानसभा को नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

(iii) सीपीएमयू की एक तकनीकी टीम को 20 फरवरी से 28 फरवरी, 2024 तक हरियाणा विधान सभा में तैनात किया गया था ताकि विधानसभा को नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

(iv) सीपीएमयू की एक तकनीकी टीम को 27 फरवरी से 5 मार्च, 2024 तक मणिपुर विधान सभा में तैनात किया गया था ताकि विधानसभा को नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले

-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन हेतु स्वीकृति' के मामलों की संख्या

-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।

-शून्य-

5. जारी स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति) -

गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति

- इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी

- लागू नहीं-

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति

वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है

-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति। : -शून्य-

अनुबंध- I

फरवरी, 2024 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, दिनांक और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/टिप्पणी
1.	शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 10.00 बजे	ग्रामीण विकास, पंचायती राज	प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY-G)	समिति कक्ष 'ख', संसदीय सौध, नई दिल्ली
2.	सोमवार, 5 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 9.30 बजे	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	वरिष्ठ नागरिक	समिति कक्ष 'घ', संसदीय सौध, नई दिल्ली
3.	मंगलवार, 6 फरवरी, 2024 को शाम 6.30 बजे	सूचना और प्रसारण	इंडिया में कम्यूनिटी रेडियो का विकास	समिति कक्ष 'ख', संसदीय सौध, नई दिल्ली
4.	बुधवार, 7 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 9.00 बजे	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	समिति कक्ष 'ख, संसदीय सौध, नई दिल्ली
5.	बुधवार, 7 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 9.30 बजे	युवा कार्यक्रम और खेल	खेलों में समावेशन; महिला लीग और पैरा स्पोर्ट्स	समिति कक्ष 'ग', संसदीय सौध, नई दिल्ली
6.	बुधवार, 7 फरवरी, 2024 को शाम 6.00 बजे	भारी उद्योग	एमएचआई के अंतर्गत पीएसयूज की भूमिका - नई प्रौद्योगिकी के युग में	समिति कक्ष 'ख', संसदीय सौध, नई दिल्ली
7.	सोमवार, 12 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11.30 बजे	विद्युत	सोलर रूफ टॉप का कार्यान्वयन	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली
8.	बुधवार, 21 फरवरी, 2024 को शाम 6.30 बजे	वाणिज्य और उद्योग	प्रधान मंत्री गतिशक्ति: विकास हेतु एरिया एप्रोच	सम्मेलन कक्ष 31, भू-तल, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली
9.	सोमवार, 26 फरवरी, 2024	गृह	केंद्रीय सशस्त्र बलों संबंधी मामले	दमन, दमन और दीव